न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक), जैतारण

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद सीरवी, आर०ए०एस० (प्रशिक्षु)

राजस्व वाद संख्या : 57/2018

वादी :- बनाम प्रतिवादी

1. पाबुसिंह पुत्र समन्दसिंह
जाति-राजपूत, निवासी-कठमोर
तहसील-जैतारण जिला-पाली (राज.)

1. तहसीलदार, जैतारण
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 136 LR Act. **तारीख रजू:.05/03/2018**

उपस्थितः- 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादी।
2. सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार, जैतारण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 04/06/2018**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं 136 LR Act. के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा-कठमौर, पटवार हल्का-भूम्बलियां, तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज.) में वादी एवं उसके भाईयों की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 56 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। जिसकी नकल चालू जमाबंदी इस वादपत्र के साथ पेश है। इस भूमि को वादपत्र में आगे विवादित भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। उक्त भूमि वादी के पिता समन्दरसिंह पुत्र बन्नेसिंह थी, समन्दसिंह जी का देहान्त होने पर तत्कालीन हल्का पटवारी ने नामान्तरणकरण संख्या 391 तैयार किया था। जिसमें वक्त नामान्तरणकरण के वादी का सही नाम पाबुसिंह की बजाय वादी का नाम बगेसिंह दर्ज कर दिया, जो गलत है, जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम पाबूसिंह ही है। जिसके समर्थन में राशनकार्ड, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, आधार कार्ड व भामाशाह कार्ड इस वादपत्र के साथ पेश है। इस प्रकार से वादी पाबूसिंह की बजाय बगेसिंह के नाम का अंकन गलत हो जाने से राजस्व रेकर्ड में आज दिन तक बगेसिंह के नाम की प्रविष्टि चली आ रही है। जिससे वादी को भारी परेशानियां हो रही है। वादी अपने नाम का किसान कार्ड भी नहीं बनवा पा रहा है। इस बाबत वादी ने हल्का पटवारी ने वादी के नाम की दुरूस्ती हेतु भी निवेदन किया जिस पर दिनांक 25/12/2017 को हल्का पटवारी ने इस हेतु कानूनी कार्यवाही करने की हिदायत दी जिस पर वादी की ओर से यह वादपत्र बाबत घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती का विरूद्ध प्रतिवादी के पेश है। प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण जो कि भूमिधारी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधी है जिनके विरूद्ध वादपत्र पेश करने से पूर्व 2 माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक है। जिसमें लम्बा समय लगने की संभावना है। इसलिए नोटिस देना डिस्पेन्सविथ कर यह वादपत्र अनुमति लेकर के श्रीमान् के समक्ष सादर पेश किया जा रहा है। अनुमति हेतु धारा 80 (2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। बिनाय वाद दिनांक 25/12/2017 को हल्का पटवारी द्वारा वादी को नाम दुरूस्ती करने से इंकार करने पर बमुकाम कठमोर तहसील जैतारण जिला पाली में पैदा हुआ है जो अंदर म्याद व श्रीमान् के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

इस प्रकार वाद-पत्र मय शपथ-पत्र पेश कर माफिक दावा वाद स्वीकार किये जाने तथा वादी का उक्त राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज बगेसिंह पुत्र समन्दरसिंह के स्थान पर वास्तविक नाम पाबुसिंह पुत्र समन्दरसिंह दुरूस्त दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फ़ास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

Scanned by CamScanner

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। सरकारी पैरोकार अपना जबाबदावा पेश करने का समय चाहा गया।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-भूम्बलिया में पेश हुई। मजमा-ए-आम में जानकारी प्राप्त की गई। मजमा-ए-आम में पटवारी हल्का मय तहसीलदार जैतारण से वस्तुस्थिति की फर्द मौका रिपोर्ट प्राप्त की। फर्द मौका रिपोर्ट में जाहिर किया कि मजमें-ए-आम में जांच करने पर बताया कि वादी समन्दरसिंह पुत्र बन्नेसिंह जाति-राजपूत के चार पुत्र मनोहरसिंह, गणपतसिंह, केशरसिंह, पाबुसिंह पि0 समन्दरसिंह ही हैं। गांव में पाबुसिंह पुत्र समन्दरसिंह को बोलचाल में बगेसिंह, पाबुसिंह दोनों नामों से ही पुकारा जाता था। जिससे विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करते समय बगेसिंह दर्ज हो गया। ग्राम में बगेसिंह पुत्र समन्दरसिंह पाबुसिंह पुत्र समन्दरसिंह दोनों नाम के एक ही व्यक्ति पाबुसिंह पुत्र समन्दरसिंह ही हैं। ग्राम में इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं हैं। उपस्थित मौतबिरान ने बताया कि उक्त खसरा नम्बर पर पाबुसिंह पुत्र समन्दरसिंह ही अपने हिस्से अनुसार काबिज एवं काश्त करते हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहिचान पत्र संख्या NQJ/0491480 दिनांक 27/12/2011, राशन कार्ड संख्या 009043200109 एवं आधार कार्ड संख्या 337020537494 इत्यादि में पाबुसिंह पुत्र समन्दरसिंह नाम दर्ज हैं। अतः वादी का नाम बगेसिंह पुत्र समन्दरसिंह के स्थान पर पाबुसिंह पुत्र समन्दरसिंह सही किया जाना उचित हैं। फर्द मौका रिपोर्ट सा0मि0 हो।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। मजमा-ए-आम में भी उक्त संबंध में जानकारी ली गई। तथापि बगेसिंह पुत्र समन्दरसिंह एवं पाबुसिंह पुत्र समन्दरसिंह एक ही व्यक्ति होना जाहिर किया। वस्तुतः वाद-पत्र के साथ साक्ष्य सबूत में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहिचान पत्र संख्या NQJ/0491480 दिनांक 27/12/2011, राशन कार्ड संख्या 009043200109 एवं आधार कार्ड संख्या 337020537494 की छाया प्रतियाँ पेश की, जिससे प्रार्थी का सही नाम पाबुसिंह ही हैं। राजस्व अभिलेख में गलत रूप से बगेसिंह पुत्र समन्दरसिंह दर्ज नाम के स्थान पर पाबुसिंह पुत्र समन्दरसिंह दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा-कठमौर, पटवार हल्का-भूम्बलियां, तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज.) में वादी एवं उसके भाईयों की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 56 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा किस्म बारानी दोयम भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के गलत दर्ज नाम बगेसिंह पुत्र समन्दरसिंह के स्थान पर वास्तविक एवं सही नाम पाबुसिंह पुत्र समन्दरसिंह दुरूस्त किये जाने की घोषणा की जाती हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली), राज०
जैतारण (जिला. पाली)

निर्णय आज दिनॉक 04/06/2018 को लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर अटल सेवा केन्द्र-भूम्बलिया में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली), राज०
जैतारण (जिला. पाली)

Scanned by CamScanner